वाहन किराए पर लेने हेतु निविदा

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं
विंध्याचल भवन भोपाल म.प्र.

(ई-मेल: rcs.admin@mp.gov.in: Phone no: 0755-2554355)

क्रमांक/प्रशासन/2/ 2018/ भोपाल दिनांक

:: निविदा आमंत्रण सूचना ::

कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं, म.प्र. विंध्याचल भवन, भोपाल में निम्नलिखित विवरण अनुसार कार्यालय में 09 वाहन मासिक दरों पर किराए पर लेने हेतु निविदाएं आमंत्रित है।

कार्यालय : आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं म.प्र., विंध्याचल भवन, भोपाल
वाहन का प्रकार मॉडल वर्ष 2017-2018

क्र.	अधिकतम Ex-show room price	वाहनों की संख्या अनुमानित	समय अवधि
1	रुपये 6.5 लाख (छ लाख पचास हजार)	01	12 माह
2	रुपये 5.50 लाख (पांच लाख पचास हजार)	08	12 माह

1. वाहन का टैक्सी कोटे में रजिस्ट्रेशन होने अनिवार्य हैं।
2. निविदा डॉक्यूमेंट मध्यप्रदेश ई-प्रोक्योरमेंट वेबसाइट https://www.mpeproc.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट http://www.cooperatives.mp.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है इच्छुक वेंडर को निविदा जमा करने के समय निविदा दस्तावेज़ शुल्क रुपये1000/-ई-भुगतान के रुप ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.mpeproc.gov.in में लेखाशीर्ष 0425 सहकारिता 800 अन्य प्राप्तियां में जमा रसीद चालन के साथ प्रस्तुत करना आवश्यक है।
3. इच्छुक आवेदक अपनी फाइनेंशियल बिड को GoMP ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.mpeproc.gov.in के माध्यम से अंतिम तिथि 15-02-2018 तक 14:00 बजे तक जमा कर सकते हैं। तकनीकी बिड प्रत्येक दशा में कार्यालय में लिफाफा - अ में प्रस्तुत की जाएगी।
4. अंतिम दिनांक में वृद्धि की सूचना विभागीय वेबसाइट http://www.cooperatives.mp.gov.in के माध्यम से दी जाएगी इस संबंध में समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं होगा।
5. निविदा फार्म खोले जाने का समय दिनांक 15.02.2018 दोपहर 15:00 बजे

वाहन किराए पर लेने हेतु निविदा

निविदा का विवरण

क्रमांक	विवरण	आवश्यक सूचना
1	टेंडर फार्म उपलब्ध	ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल: https://www.mpeproc.gov.in एवं विभागीय वेबसाइट: http:://www.cooperatives.mp.gov.in
2	निविदा दस्तावेज़ शुल्क	राशि रु 1000/- ई- भुगतान के रूप ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल https://www.mpeproc.gov.in में जमा करना आवश्यक है ।
3	धरोहर राशि	रु 50000/- (ऑफलाइन) होगी जिसे पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी **एफ.डी.**पर स्वीकार किया जाएगा। यह मूल एफडी लिफाफा - अ के अंदर रखी जाएगी।
4	तकनीकी बिड (लिफाफा - अ)	इच्छुक निविदाकर्ता को तकनीकी बिड को लिफाफा - अ (Sealed Envelope) में कार्यालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल में निविदा खोलने के समय से पहले जमा करना होगा
5	फाइनेंशियल प्रपोजल (लिफाफा - ब)	ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल: https://www.mpeproc.gov.in पर ऑनलाइन जमा करने होंगे
6	निविदा ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि	15-02-2018 को 14:00 बजे तक
7	निविदा फार्म खोले जाने का समय दिनांक	15-02-2018 को 15:00 बजे तक

वेबसाइट से डाउनलोड किए गए फार्म को स्वीकार किया जा सकेगा परंतु निविदाकर्ता द्वारा निविदा फार्म जमा करते समय रुपए 1000/- (non-refundable) का निविदा फार्म शुल्क "ई" - भुगतान के रूप ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल : https://www.mpeproc.gov.in में जमा करना आवश्यक है । निविदाओं को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार पंजीयक सहकारी संस्थाएं, मध्यप्रदेश के पास सुरक्षित रहेगा।

संयुक्त आयुक्त,
सहकारिता म.प्र.

वाहन किराए पर लेने हेतु निविदा

कार्यालय आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा वर्ष 2018-19 हेतु वाहन किराए पर लेने के लिये निविदा प्रपत्र व शर्तें

परिभाषाऐं :-

कार्यालय -से अभिप्रेत है आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं म.प्र. विंध्याचल भवन भोपाल

आवेदक/निविदाकर्ता - से अभिप्रेत है वह एजेन्सी/व्यक्ति जो इस निविदा के उत्तर में निम्नलिखित शर्तों के पालनाधीन रहते हुये इस निविदा हेतु आवेदन करता है।

वाहन प्रदाता - से अभिप्रेत है वह आवेदक जिस के पक्ष में इस कार्यालय द्वारा इस निविदा के विरूद्ध वाहन प्रदाय हेतु कार्यादेश जारी किया गया है।

कार्यादेश - वाहन प्रदाता को वाहन प्रदाय किये जाने हेतु कार्यालय द्वारा जारी आदेश।

वाहन आंवटी - से अभिप्रेत है वह अधिकारी जिसे कार्यालय द्वारा इस निविदा की स्वीकृति एवं कार्य आदेश जारी होने के उपरान्त वाहन प्रदाता द्वारा वाहन प्रदान किया गया है।

निविदा की शर्तें

1. आवेदक जीएसटी हेतु पंजीकृत हो।
2. वाहन वातानुकूलित होगा तथा वाहन का मॉडल वर्ष 2017 से पूर्व का पंजीकृत नहीं होगा परंतु यह और भी कि कार्यालय की सेवा में लगाए जाने के पूर्व वह 10000 किलोमीटर से अधिक नहीं चला होगा । वाहन किराए पर लेने की अवधि कार्यादेश जारी होने की दिनांक से एक वर्ष तक रहेगी।
3. वाहन प्रत्येक दशा में अच्छी हालत में होना चाहिए एवं उसका क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय टैक्सी कोटे में पंजीयन होना चाहिये।
4. वाहन पेट्रोल/ डीजल एवं ड्राइवर सहित उपलब्ध कराया जाएगा। वाहन में फ्यूल, मेंटेनेंस वाहन चालक का एवं समस्त व्यय वाहन प्रदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
5. वाहन चालक के अवकाश पर रहने की स्थिति में वाहन प्रदाता को दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराना होगा।
6. वाहन चालक लाइसेंस धारी होगा तथा उसका आचरण शालीन तथा अनुशासित होगा। उसके विरूद्ध किसी भी पुलिस थाने में कोई अपराध प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होना चाहिए । ड्राइवर के आचरण के संबंध में वाहन आंवटी द्वारा कार्यालय में शिकायत किए जाने पर ड्राइवर को बदला जाना अनिवार्य होगा।
7. वाहन का आवश्यकतानुसार मेंटेनेंस किया जाना आवश्यक होगा, परन्तु ऐसे मेन्टेनेन्स के दिवस पर वाहन प्रदाता को वाहन आवंटी को अन्य वाहन उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा । वाहन की टूट- फूट होने पर रिपेयरिंग का खर्च नियमित रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग आदि का व्यय वाहन

प्रदाता द्वारा किया जाएगा जिसकी कोई प्रतिपूर्ति कार्यालय द्वारा नहीं की जाएगी । वाहन प्रदाता द्वारा वाहन के एसी का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा जिसके अभाव में वाहन प्रदाता के मासिक भुगतान से 10 प्रतिशत का कटौत्रा किया जा सकेगा।

8. समस्त देय शासकीय/अन्य करों आदि का नियमानुसार भुगतान वाहन प्रदाता द्वारा वहन किया जाएगा। भुगतान योग्य आयकर का कार्यालय द्वारा स्त्रोत पर कटोत्रा किया जाएगा। यद्यपि जीएसटी का भुगतान वाहन प्रदाता द्वारा किया जाएगा, परन्तु इस सम्बंध में कार्यालय द्वारा कोई भी प्रमाण पत्र मांगे जाने पर वाहन प्रदाता द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में कार्यालय द्वारा वाहन प्रदाता को भुगतान नहीं किया जाएगा।

9. वाहन प्रदाता सुनिश्चित करेगा कि वाहन बीमित (Insured) हो तथा वाहन के साथ कोई दुर्घटना होने की स्थिति में समस्त प्रकार का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा।

10. वाहन की चोरी अथवा क्षतिग्रस्त होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व वाहन प्रदाता का होगा।

11. मासिक किराए के तहत वाहन का उपयोग मुख्यालय में प्रतिमाह अधिकतम 1000 किलोमीटर होगा किसी माह में विशेष परिस्थिति में 1000 किलोमीटर से अधिक उपयोग पर प्रचलित प्रति किलोमीटर किराए की दर पृथक से देय होगी। वाहन के ऐसे मासिक उपयोग पर ईंधन की कोई सीमा नहीं होगी तथा वाहन प्रदाता द्वारा ईंधन के मासिक उपयोग की सीमा तय करने के सम्बंध में कार्यालय या वाहन आवंटी को दिया गया पत्र वाहन प्रदाता की अनुशासनहीनता माना जाएगा और कार्यालय को अधिकार होगा कि द्वितीय सफल निविदाकर्ता को उसके द्वारा प्रदत्त दरों पर कार्यादेश दे, परन्तु द्वितीय सफल निविदाकर्ता द्वारा अपनी सेवाऐं दिये जाने में असमर्थता दर्शित करने पर अन्य किसी भी एजेन्सी को चाहे उसने इस निविदा प्रक्रिया में भाग लिया हो या नहीं, शेष अवधि के लिये उसी दर पर अथवा अधिक दर पर कार्यादेश दिया जा सकेगा परन्तु दोनों ही स्थितियों में दरों के अंतर की राशि का समायोजन वाहन प्रदाता द्वारा दी गई धरोहर राशि से किया जाएगा तथा धरोहर राशि के समायोजन में कम होने वाहन प्रदाता के लम्बित देयक की राशि से समायोजन किया जाएगा। परन्तु किसी भी ऐसी स्थिति में कार्यालय के पास नवीन निविदा जारी करने का विकल्प सदैव उपलब्ध रहेगा।

12. आवेदक द्वारा निविदा में मुख्यालय शहर में 1000 किलोमीटर की सीमा तक वाहन के उपयोग हेतु फिक्स चार्ज, किसी माह में वाहन का उपयोग 1000 किलोमीटर से अधिक होने पर ऐसे अधिक किलोमीटर के लिये रूपये प्रति किलोमीटर एवं मुख्यालय शहर से बाहर भ्रमण हेतु प्रति किलोमीटर परिवर्तनशील दर (Variable charge Rs. per Km.) पृथक पृथक परन्तु समस्त कर के साथ दर्शाई जाएगी। परन्तु यह और भी कि मुख्यालय से बाहर भ्रमण की स्थिति में लगने वाले टौल टैक्स का भुगतान वाहन प्रदाता द्वारा किया जाएगा व ऐसे व्यय की कोई प्रतिपूर्ति कार्यालय द्वारा नहीं की जाएगी।

13. यदि वाहन आवंटी की इस सम्बंध में पूर्व अनुमति के बगैर वाहन तीन दिवस तक उपलब्ध नहीं रहता है तो वाहन आवंटी किसी अन्य प्रकार से हायर की गई टैक्सी उदाहरणार्थ उबेर/ ओला आदि का उपयोग करेगा जिसका भुगतान वाहन प्रदाता द्वारा वाहन आवंटी को उस माह के देयक प्रस्तुत करने से पूर्व अनिवार्यत: किया जाएगा, जिसके अभाव में वाहन आवंटी को ऐसी राशि का भुगतान वाहन प्रदाता के उस माह के देयक से कटौत्रा कर किया जाएगा, साथ ही ऐसी

अनुपलब्धता के प्रत्येक दिवस के लिए रु. 500/-(अक्षरी रूपये पांच सौ) के मान से वाहन प्रदाता के उस माह के भुगतान में कटौत्रा भी किया जाएगा, परन्तु तीन दिवस से अधिक की अवधि के लिये बिना कार्यालय की अनुमति के वाहन अनुपस्थिति पर कार्यालय को अधिकार होगा कि ऐसे वाहन आवंटी को वाहन उपलब्ध कराने के लिये **द्वितीय** सफल निविदाकर्ता को उसके द्वारा प्रदत्त दरों पर कार्यादेश दे परन्तु **द्वितीय** सफल निविदाकर्ता द्वारा अपनी सेवाऐं दिये जाने में असमर्थता दर्शित करने पर अन्य किसी भी एजेन्सी को चाहे उसने इस निविदा प्रक्रिया में भाग लिया हो या नहीं, को शेष अवधि के लिये उसी दर पर अथवा अधिक दर पर कार्यादेश दिया जा सकेगा परन्तु दोनों ही स्थितियों में दरों के अंतर की राशि का समायोजन वाहन प्रदाता द्वारा दी गई धरोहर राशि से किया जाएगा तथा धरोहर राशि के समायोजन में कम होने वाहन प्रदाता के लम्बित देयक की राशि से समायोजन किया जाएगा।

14. वाहन प्रदाता द्वारा संपूर्ण माह के लिए (अवकाश दिवसों सहित) निरंतर वाहन वाहन चालक सहित उपलब्ध कराया जाएगा। परन्तु यह और भी कि तत्सम्बंध में किसी भी अधिनियम/नियम अन्तर्गत वाहन चालक को वाहन प्रदाता **द्वारा** सप्ताह में एक दिन अवकाश दिये जाने की स्थिति में वाहन प्रदाता **द्वारा** शर्त क्रमांक 4, 5, 6 के अधीन रहते हुये किसी अन्य वाहन चालक के साथ वाहन को वाहन आवंटी को उपलब्ध कराया जाना होगा, अन्यथा वाहन आवंटी उस दिन के लिये शर्त क्रमांक 13 के अनुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतंत्र होगा।

15. वाहन प्रदाता के **विरूद्ध** यदि किसी वाहन आंवटी द्वारा तीन शिकायते दर्ज कराई गई है, कार्यालय को अधिकार होगा कि द्वितीय सफल निविदाकर्ता को उसके **द्वारा** प्रदत्त दरों पर कार्यादेश दे परन्तु **द्वितीय** सफल निविदाकर्ता **द्वारा** अपनी सेवाऐं दिये जाने में असमर्थता दर्शित करने पर अन्य किसी भी एजेन्सी को चाहे उसने इस निविदा प्रक्रिया में भाग लिया हो या नहीं, को शेष अवधि के लिये उसी दर पर अथवा अधिक दर पर कार्यादेश दिया जा सकेगा परन्तु दोनों ही स्थितियों में दरों के अंतर की राशि का समायोजन वाहन प्रदाता द्वारा दी गई धरोहर राशि से किया जाएगा तथा धरोहर राशि के समायोजन में कम होने वाहन प्रदाता के लम्बित देयक की राशि से समायोजन किया जाएगा, परन्तु किसी भी ऐसी स्थिति में कार्यालय के पास नवीन निविदा जारी करने का विकल्प सदैव उपलब्ध रहेगा।

16. निविदा को मान्य, अमान्य, स्थगित करना या वाहनों की संख्या कम या ज्यादा करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल के पास सुरक्षित रहेगा। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से अनुबंध की समय सीमा में **वृद्धि** की जा सकेगी।

17. वाहन में पैट्रोल/डीजल भराऐ जाने हेतु वाहन का उपयोग वाहन प्रदाता द्वारा किया गया उपयोग माना जाएगा तथा इसमें लगने वाली दूरी की गणना शर्त क्रमांक 12 के अधीन 1000 किमी में नहीं होगी, परन्तु यह और भी कि यदि वाहन प्रदाता के अनुरोध पर यदि वाहन आवंटी द्वारा अपने व्यय पर वाहन में डीजल/ पैट्रोल भरवाया जाता है, इस व्यय का भुगतान वाहन प्रदाता द्वारा उस माह के देयक प्रस्तुति से पहले वाहन आवंटी को किया जाना अनिवार्य होगा, जिसके अभाव में उस माह के देयक का भुगतान नहीं हो सकेगा।

18. वाहन को वाहन आवंटी के निवास पर अथवा वाहन आवंटी जहॉ चाहे वहॉ पर रखा जाना अनिवार्य है। परन्तु यह और भी कि वाहन आवंटी के लम्बे अवकाश पर जाने की स्थिति में कार्यालय के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि कार्यालय ऐसे वाहन को किसी अन्य अधिकारी

को आवंटित करे परन्तु वाहन प्रदाता के पास किसी भी स्थिति में वाहन रखे जाने पर वाहन प्रदाता सुनिश्चित करेगा कि कार्यालय की इस सम्बंध में पूर्व स्वीकृति के अभाव में इस वाहन का अन्यथा उपयोग न हो।

19. रुपए 50000/- की अर्नेस्ट मनी 15 माह की एक एफडी के रूप में जमा करने होगी जो आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्य प्रदेश के पक्ष में देय हो।

20. निविदा हेतु नियमानुसार एक लिफाफा संलग्न करना होगा।

अ. लिफाफा जिसमें अर्नेस्ट मनी मय तथा निम्नलिखित दस्तावेज़ हों:

1. शर्त क्रमांक 01 के अधीन जीएसटी रजिस्ट्रेशन की स्वत: सत्यापित छायाप्रति
2. शर्त क्रमांक 19 के अधीन अर्नेस्ट मनी की एफडी
3. अनुलग्नक (ए) अनुसार निविदाकर्ता की जानकारी

ब. निविदा लिफाफा जिसमें शर्त क्रमांक 12 के पालन में अनुलग्नक (बी) में ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल पर ऑनलाईन दरें प्रदाय की जाएंगी।

प्रथम एवं द्वितीय निविदाकर्ता को छोडकर शेष की अर्नेस्ट मनी की एफडी निविदा खोले जाने की दिनांक पर ही वापिस कर दी जाऐगी।

21. Selection of Bidder: निविदाकर्ता का चयन Annexure-B में बताए अनुसार न्यूनतम दर के आधार पर होगा। Lowest वेंडर से Negotiation खुला रहेगा।

22. निविदा निर्धारित समय पर उपस्थित निविदाकर्ताओं को अथवा उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएगी। सर्वप्रथम 'अ' लिफाफा को खोलकर शर्तों को पूर्ण करने वाले निविदाकर्ताओं की सूची तैयार की जाएगी। जिन निविदाकर्ताओं द्वारा शर्त 20(अ) का पालन नहीं किया जाएगा, उनका पोर्टल ई-प्रोक्योरमेंट पर 'ब' लिफाफा नहीं खोला जाएगा। इस प्रकार खोले गये 'ब' लिफाफ के अनुसार तैयार किये गये दरों के तुलनात्मक विवरण में न्यूनतम दरों के आधार पर प्रथम/द्वितीय सफल निविदाकर्ता घोषित किया जाएगा। निविदा से प्राप्त हुए रेट निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवस तक मान्य होंगे।

23. निविदा स्वीकृत होने पर वाहन प्रदाता को कार्यालय को कार्यालय द्वारा निर्धारित दिनांक पर वाहन उपलब्ध कराना होगा तथा वाहन तथा वाहन चालक की जानकारी कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में कार्यालय को देना अनिवार्य होगा।

24. निविदाकर्ता को भुगतान मात्र निविदाकर्ता के नाम में ही देय होगा। भुगतान (Payment) किराए पर उपलब्ध कराए गए वाहनों का भुगतान भारतीय रुपए में इस कार्यालय द्वारा किया जाएगा। अग्रिम भुगतान किया नहीं जाएगा। वाहन प्रदाता के लिये अनिवार्य होगा कि भुगतान के पूर्व जीएसटी के सम्बंध में शासनादेश का पालन हो।

25. वाहनों के किराए का भुगतान वाहनों के उपयोग पश्चात वाहन आवंटी द्वारा उपयोग संबंधी सर्टिफिकेट उपलब्ध कराने के बाद परन्तु उपरोक्त शर्तों के अधीन रहते हुये किया जाएगा।

26. निविदा प्रक्रिया में तुलनात्मक विवरण तैयार करने हेतु यदि कार्यालय को कोई स्पष्टीकरण (Clarifications) चाहिए तो वे Financial Bid खोलने से पहले निविदाकर्ता को जानकारी देना अनिवार्य होगा।

27. यदि उपरोक्त शर्तों में आवेदक को किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है तो इच्छुक आवेदक निविदा जमा करने की दिनांक से 7 दिन पहले अपनी पृच्छा को कार्यालय के ई-मेल आई.डी. rcs.admin@mp.gov.in पर विषय **"Tender" विषय के साथ** ई-मेल कर सकते हैं।

28. निविदा स्वीकृत होने की दशा में निविदाकर्ता को जारी होने के 15 दिवस के अंदर इस कार्यालय को निम्नलिखित जानकारी देनी होगी।
    - फर्म का नाम (जैसा टेंडर फॉर्म में दिया गया)
    - फर्म का बैंक जहां भुगतान क्रेडिट होना है।
    - फर्म का बैंक का खाता नंबर
    - संबंधित BANK का IFSC कोड

29. यह स्पष्ट किया जाता है कि वाहन प्रदाता अथवा वाहन चालक की किसी भी अनुशासनहीनता सम्बंधी कार्यवाही पर कार्यालय को अधिकार होगा कि **द्वितीय** सफल निविदाकर्ता को उसके **द्वारा** प्रदत्त दरों पर कार्यादेश दे परन्तु **द्वितीय** सफल निविदाकर्ता द्वारा अपनी सेवाऐं दिये जाने में असमर्थता दर्शित करने पर अन्य किसी भी एजेन्सी को चाहे उसने इस निविदा प्रक्रिया में भाग लिया हो या नहीं, को शेष अवधि के लिये उसी दर पर अथवा अधिक दर पर कार्यादेश दिया जा सकेगा परन्तु दोनों ही स्थितियों में दरों के अंतर की राशि का समायोजन वाहन प्रदाता **द्वारा** दी गई धरोहर राशि से किया जाएगा तथा धरोहर राशि के समायोजन में कम होने पर वाहन प्रदाता के लम्बित देयक की राशि से समायोजन किया जाएगा, परन्तु किसी भी ऐसी स्थिति में कार्यालय के पास नवीन निविदा जारी करने का विकल्प सदैव उपलब्ध रहेगा। अनुशासनहीन मापदण्डों के निर्धारण में कार्यालय का मत अंतिम होगा।

30. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाऐं का निर्णय मान्य रहेगा।

31. निविदा में आवेदन किये जाने का अर्थ होगा कि आवेदक का उपरोक्त समस्त शर्तें मान्य है।

संयुक्त आयुक्त
सहकारिता म.प्र. भोपाल।

वाहन किराए पर लेने हेतु निविदा

अनुलग्नक (ए)

कार्यालय आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल हेतु वाहन किराए पर लेने हेतु वर्ष 2018- 19

निविदा विज्ञप्ति दिनांक

वाहन प्रदाता फर्म	
वाहन प्रदाता फार्म का जीएसटी	
संस्था के मुखिया का नाम	
संस्था के मुखिया का पैन नंबर	
विगत वर्ष भुगतान किए गए जीएसटी की रसीद की छायाप्रति	
संस्था का स्थाई पता	
मोबाइल एवं दूरभाष नंबर	

- अर्नेस्ट मनी एफडी का नंबर-- दिनांक--------------
- बैंक/ शाखा का नाम--
- रसीद क्रमांक/दिनांक--

वाहन किराए पर लेने हेतु निविदा

अनुलग्नक (बी)

कार्यालय आयुक्त एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश भोपाल हेतु वाहन किराए पर लेने हेतु वर्ष 2018-19

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक

संस्था का नाम	

क्रमांक	वाहन की Ex-show room price	**वाहनों की अनुमानित संख्या**	स्थानीय भ्रमण के लिये प्रतिमाह अधिकतम 1000 किलोमीटर हेतु दरें	स्थानीय भ्रमण हेतु 1000 किलोमीटर के उपरान्त रूपयेप्रति किमी	मुख्यालय के बाहर भ्रमण पर जाने पर रूपये प्रति किलोमीटर
1	रुपए 6.50 लाख (छ लाख पचास हजार)	1			
2	रुपए 5.50 लाख (पांच लाख पचास हजार)	8			

निविदा आवेदन पत्र का क्रमांक ____________________

राशि क्रमांक/ दिनांक____________________

हस्ताक्षर